प्रेस नोट
दिनांक 12.07.2026, थाना को0नगर
जनपद- गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध रूप से रक्त की खरीद-फरोख्त करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 08 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 253 कूटरचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 09 अदद मोबाइल फोन बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 01. मु0अ0सं0-651/2026, धारा 318(4), 125 बीएनएस व 02. मु0अ0सं0-655/2026, धारा 106(1), 308(2), 318(4), 125 बीएनएससे सम्बन्धित अवैध रूप सेब्लड की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 08 अभियुक्तों 01. मुख्तार पुत्र जाफर, 02. शिवम शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला, 03. विजय पुत्र तिलकराम, 04. साहबे आलम पुत्र मुन्ना, 05. ऋषिकेश अवस्थी पुत्र स्व0 अमरीश कुमार अवस्थी, 06. बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद, 07. अभिषेक सिंह पुत्र जगदीश, 08. सौरभ श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव को चाँदमारी पुलिया घोसियाना के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से253 कूटरचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 09 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी वली मोहम्मद पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम परसा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पत्नी दिनांक 04.07.2026 को अस्पताल में भर्ती थीं। उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा रक्त की आवश्यकता बताई, जिस पर वादी रक्त की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अस्पताल के बाहर ऋषिकेश अवस्थी द्वारा ₹12,500 में रक्त उपलब्ध कराया। जिसमें वादी द्वारा ₹10,000 ऑनलाइन तथा ₹2,500 नगद दिए गए। चिकित्सकों द्वारा जांच करने पर उक्त रक्त को संदिग्ध/अनुपयुक्त बताते हुए चढ़ाने से मना कर दिया गया। इस पर वादी द्वारा रक्त वापस लेने तथा धनराशि लौटाने को कहा, जिस पर आरोपी द्वारा न तो रक्त उपलब्ध कराया और न ही वादी पैसे वापस किये गये। वादी की तहरीर पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0-651/2026, धारा 318(4), 125 बीएनएस बनाम ऋषिकेश अवस्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर कोघटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे

आज दिनांक 12.07.2026 को विवचेना के दौरानपाये गए दोषी आरोपी अभियुक्तों01. मुख्तार पुत्र जाफर, 02. शिवम शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला, 03. विजय पुत्र तिलकराम, 04. साहबे आलम पुत्र मुन्ना, 05. ऋषिकेश अवस्थी पुत्र स्व0 अमरीश कुमार अवस्थी, 06. बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद, 07. अभिषेक सिंह पुत्र जगदीश, 08. सौरभ श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव को चाँदमारी पुलिया घोसियाना के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 253 कूटरचित ब्लड बैंक कार्ड, 10 अदद डिस्पोजल सिरिन्ज, 09 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।इसी तरह थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत एक 09 वर्षीय बालिका के उपचार के दौरान रक्त की आवश्यक्ता होने पर आरोपियों द्वारा एक्सपायरी (समयावधि समाप्त) रक्त उपलब्ध कराया गया था। जिसके कारण उसकी तबीयत और बिगड़ गई तथा दिनांक 19.11.2026 को उसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरणः

अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से रक्त (ब्लड) की खरीद-फरोख्त का कार्य करता है। पूछताछ में यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त**अभिषेक** एवं **सौरभ** जनपद बलरामपुर में एक ब्लड बैंक का संचालन करते हैं, जबकि उनके अन्य सहयोगी विभिन्न अस्पतालों एवं अन्य स्थानों पर रक्त की आवश्यकता वाले व्यक्तियों (क्लाइंट) की तलाश कर उनसे संपर्क स्थापित करते हैं तथा अवैध रूप से रक्त की खरीद-फरोख्त कराते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुख्तार पुत्र जाफर निवासी मो0साहबगंज, बढगाँव चौकी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. शिवम शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला निवासी बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. विजय पुत्र तिलकराम निवासी गरीबीपुरवा मौजा बुढादेवर, चौकी सोनीगुमटी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
04. साहबे आलम पुत्र मुन्ना निवासी इमामबाड़ा चौकी महराजगंज थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
05. ऋषिकेश अवस्थी पुत्र स्व0 अमरीश कुमार अवस्थी निवासी पैड़ी अजबसिंह थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
06. बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद निवासी पम्पापुर मुण्डेरवा कला थाना कोतवाली देहात गोण्डा।
07. अभिषेक सिंह पुत्र जगदीश निवासी आदर्श कालोनी थाना कोतवाली देहात बलारामपुर।
08. सौरभ श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव निवासी भभनी कानूनगो थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-651/2026, धारा 318(4), 125, 366(3), 338, 340(2), 3(5), 61(2)a बीएनएसव 18/27 ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0-655/2026, धारा 106(1), 308(2), 318(4), 125 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. उ0नि0 सोनू कुमार
02. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव
03. उ0नि0 नितिन उपाध्याय
04. उ0नि0 सुधांशु पाठक
05. हे0का0 विपिन पाण्डेय
06. का0 दीपक सिंह बिष्ट
07. का0 अनिलेश ओझा
08. का0 पियूष गोस्वामी
09. का0 दीपक सिंह
10. का0 चन्द्रजीत
11. का0 विनय प्रताप
12. का0 देव कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस- नोट
दिनांक 12.07.2026

'Cy-Vazra अभियान' के तहत साइबर फ्रॉड गिरोह के 05 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 06 अदद मोबाइल, 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, 08 अदद मोहर, 02 अदद दो पहिया वाहन व विभिन्न फर्मों के फर्जी दस्तावेज सहित अन्य सामाग्री बरामद कर 3.20 करोड़ की धनराशि को कराई गई फ्रीज -

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान 'Cy-Vazra के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में साइबर अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये सख्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत 01. मु0अ0सं0 686/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट व 02. मु0अ0सं0 687/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट से सम्बन्धित 05 साइबर अपराधी अभियुक्तों 01. दीपक गोयल पुत्र स्व0 नरेन्द्र गोयल, 02. विजय सोनी पुत्र स्व0 रामचन्द्र सोनी, 03. देवनरायन मिश्रा पुत्र वाल्मीकी मिश्री, 04. गंगोत्री पाण्डेय पुत्र रामफूल पाण्डेय, 05. शहबान आलम उर्फ सोनू पुत्र पीर मोहम्मद को खिरौरा मोहन क्रांसिंग बहराइच रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कब्जे से 06 अदद मोबाइल फोन, 15 अदद आधार कार्ड, 10 अदद सिम कार्ड, 08 अदद मोहर, 02 अदद पैन कार्ड, 01 अदद डेबिट कार्ड, 02 अदद डेबिट कार्ड, 01 अदद मेमोरी कार्ड व 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी श्री वीरेन्द्र प्रताप पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई टिकरिया, पोस्ट विसुनपुर वैरिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर लिखित तहरीर दिया गया था कि विपक्षीगण द्वारा उन्हें सोलर कम्पनी में नौकरी दिलाने तथा ₹15,000 प्रतिमाह वेतन दिलाने का झांसा देकर यू.पी. ग्रामीण बैंक में सैलरी/ करेंट अकाउंट खुलवाया। विपक्षीयों द्वारा उनके मोबाइल नंबर के स्थान पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर बैंक खाते में दर्ज करा लिया तथा इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके पश्चात वादी के नाम से संचालित उक्त खाते के माध्यम से करोड़ों के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किए गए तथा धनराशि को नेट बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। विपक्षीयों द्वारा वादी को गुमराह कर उनके नाम से फर्जी उद्यम पंजीकरण एवं जीएसटी नंबर भी प्राप्त कर लिया गया था। वादी के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में साइबर सेल सहित कई टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को घटना का शीघ्र अनावरण करने एवं अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे
जिसके क्रम में आज दिनांक 12.07.2026 को थाना कोतवाली देहात व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा घटना में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तों 01. दीपक गोयल पुत्र स्व0 नरेन्द्र गोयल, 02. विजय सोनी पुत्र स्व0 रामचन्द्र सोनी, 03. देवनरायन मिश्रा पुत्र वाल्मीकी मिश्री, 04. गंगोत्री पाण्डेय पुत्र रामफूल पाण्डेय, 05. शहबान आलम उर्फ सोनू पुत्र पीर मोहम्मद को खिरौरा मोहन क्रांसिंग बहराइच रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 06 अदद मोबाइल फोन, 15 अदद आधार कार्ड, 10 अदद सिम कार्ड, 08 अदद मोहर, 02 अदद पैन कार्ड, 01 अदद डेबिट कार्ड, ल, 01 अदद मेमोरी कार्ड ,02 वोटर आईडी कार्ड व 01 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वे एक संगठित साइबर अपराध गिरोह के सदस्य हैं। जिनके द्वारा बेरोजगार, जरूरतमंद एवं भोले-भाले लोगों को सोलर कम्पनी में नौकरी दिलाने तथा अच्छा वेतन देने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके उपरांत वे पीड़ितों के नाम पर उद्यम (Udyam) पंजीकरण एवं जीएसटी पंजीकरण कराकर सैलरी खाते के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते थे। अभियुक्त करंट खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर के स्थान पर अपना अथवा फर्जी तरीके से प्राप्त मोबाइल नंबर दर्ज कराते थे तथा इंटरनेट बैंकिंग का पूर्ण एक्सेस अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड,डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन एवं अन्य साइबर अपराधों से प्राप्त अवैध धनराशि को इन खातों के माध्यम से ट्रांसफर कराकर उन्हें 'म्यूल अकाउंट' (Mule Accounts) के रूप में उपयोग करते थे तथा इस अवैध लेन-देन के बदले आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। इनके पास से बरामद कागजाद से अब तक 20 से ज्यादा म्यूल अकांउट की जानकारी मिली है जिसमें लगभग 21 करोड से अधिक की धनराशी का लेनदेन इन खातों में किया गया है। इन खातों के विरूद्ध

एनसीआरपी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगाना सहित कई राज्यें में अब तक 43 शिकायते प्राप्त हुई है जिसमें लगभग 3.20 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड कराया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दीपक गोयल पुत्र स्व0 नरेन्द्र गोयल निवासी आवास विकाश थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
2. विजय सोनी पुत्र स्व0 रामचन्द्र सोनी निवासी रानीबाजार थाना को0नगर जिला गोण्डा
3. देवनरायन मिश्रा पुत्र वाल्मीकी मिश्री निवासी महदेईय चकसड़ थाना को0नगर गोण्डा
4. गंगोत्री पाण्डेय पुत्र रामफूल पाण्डेय नि0 भमैचा सिसवरिया थाना मोतीगंज गोण्डा
5. शहबान आलम उर्फ सोनू पुत्र पीर मोहम्मद निवास, साहबगंज थाना को0नगर जिला गोण्डा

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 686/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 687/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1. 06 अदद मोबाइल फोन,
2. 15 अदद आधार कार्ड,
3. 10 अदद सिम कार्ड,
4. 08 अदद मोहर,
5. 02 पैन कार्ड,
6. 01 अदद डेबिट कार्ड,
7. 02 अदद वोटर आईडी कार्ड,
8. 01 अदद मेमोरी कार्ड
9. 01 मोटरसाइकिल,
10. 01 स्कूटी बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम

1. निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता - प्रभारी साइबर सेल
2. निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना को0देहात मय टीम
3. आरक्षी हरिओम टण्डन -साइबर सेल
4. आरक्षी अमित कुमार गौड़- साइबर सेल
5. आरक्षी मनीष कुशवाहा - साइबर सेल
6. आरक्षी आलोक सविता - साइबर सेल
7. आरक्षी राजेन्द्र कुमार - साइबर सेल
8. आरक्षी शिवम मिश्रा - साइबर सेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक - 12.07.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पुलिस लाइन गोण्डा में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन का संदेश देते हुए सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान प्रत्येक नागरिक को अपनी माँ के सम्मान एवं प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराता है। यह अभियान जनसहभागिता के माध्यम से हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी पहल है।

महोदय द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित भविष्य सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। उन्होंने सभी से अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक -12.07.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा दिवंगत ग्राम प्रहरी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर ₹25,000 की आर्थिक सहायता एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गयी।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बालपुर जाट के ग्राम प्रहरी **स्वर्गीय श्री श्याम नाथ तिवारी** का दिनांक **03 जुलाई, 2026** को विद्युत आघात (करंट लगने) के कारण दुःखद निधन हो गया। इस हृदयविदारक घटना पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा **श्री विनीत जायसवाल** द्वारा दिवंगत ग्राम प्रहरी के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा दिवंगत ग्राम प्रहरी के अंतिम संस्कार (क्रियाकर्म) हेतु आर्थिक एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। इस सहायता के अंतर्गत **02 कुंतल गेहूं, 02 कुंतल चावल तथा ₹ 25,000 की आर्थिक सहायता** उपलब्ध कराई गई, ताकि शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में आवश्यक संबल मिल सके।

महोदय द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रहरी पुलिस परिवार का अभिन्न अंग हैं और उनके योगदान का सदैव सम्मान किया जाएगा। संकट की इस घड़ी में गोण्डा पुलिस दिवंगत ग्राम प्रहरी के परिवार के साथ खड़ी है तथा भविष्य में भी हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।